ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब० / विविध–21–08 / 2018 71 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–5/9/19

विषयः– **नगर निगम, बिहारशरीफ में पूर्व में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत सम्राट अशोक भवन योजना के लिए देनदारी की कुल राशि ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2019–20 में नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

वित्तीय वर्ष 2019–20 में नगर निगम, बिहारशरीफ में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ के पत्रांक– 181, दिनांक– 21.01.2019 द्वारा आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर निगम, बिहारशरीफ में पूर्व से स्वीकृत सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 7 में अंकित अवशेष राशि के समतुल्य स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल राशि ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगर निगम, बिहारशरीफ	नगर निगम, बिहारशरीफ क्षेत्रान्तर्गत सम्राट अशोक भवन निर्माण कार्य।	113 / 14.02.2015 एवं 31 / 20.08.2015	135.26000	67.63000	67.63000	67.63000
			कुल योग	**135.26000**	**67.63000**	**67.63000**	**67.63000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र।

3. उक्त स्वीकृत ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र के **स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें**, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 256, दिनांक– 26.02.2019, पत्रांक– 732, दिनांक– 31.07.2019 एवं पत्रांक– 733, दिनांक– 31.07.2019 (प्रथम अनुपूरक) में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। ***प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि नगर निगम, बिहारशरीफ के PL खाता में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा।***

4. **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक– 63, दिनांक– 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. उक्त स्वीकृत ₹67.63000 लाख (सड़सठ लाख तिरसठ हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 01–राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष– 191–नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष– 0116–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड– **48-2217011910116,** विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पतियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/विविध–21–08/2018 के पृष्ठ सं०–...43....../टि० पर दिनांक–...4.9.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...44....../टि० पर दिनांक–...4.9.19...... को प्राप्त है ।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

05-09-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/विविध–21–08/2018 71 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 5/9/19

प्रतिलिपिः– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/नगर आयुक्त, नगर निगम, बिहारशरीफ/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, कोषागार बिहारशरीफ/प्रशाखा पदाधिकारी–सह– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवाश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05-09-19

सरकार के विशेष सचिव।